

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

क: एफ 6-38/2010/अ-11

भोपाल, दिनांक: 24/12/2010.

आदेश

उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्रमांक 7.2 निम्नानुसार है:-

"7.2 म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और प्रदेश में स्थापित बड़े उद्योगों के बीच वेण्डर डेव्हलपमेंट एवं लिंकेज हेतु सतत् प्रयास किये जायेंगे।

2. राज्य शासन एतद् आदेश से प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और प्रदेश में स्थापित बड़े उद्योगों के बीच वेण्डर डेव्हलपमेंट एवं लिंकेज कार्य सम्पादित करने हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम को अधिकृत करता है।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(भरत कुमार व्यास)
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
भोपाल, दिनांक 24/12/2010.

पृ0क0 एफ 6-38/2010/अ-11
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम/म.प्र. ट्रायफेक, भोपाल
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल/इन्दौर/
जबलपुर/उज्जैन/रीवा/ग्वालियर
5. प्रबंध संचालक, सेडमेप, भोपाल

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग